

08.12.2023

आवेदिका द्वारा कोई नहीं।

अनावेदक अनुप०।

आवेदिका को बार-बार फूकार लगाई गई। उपस्थित नहीं और न आवेदिका की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुये ऐसा प्रतीत होता है कि अनावेदक को परेशान करने की मंशा से प्रकरण चलाया जा रहा है आज दिनांक को आवेदिका उपस्थित नहीं ऐसी स्थिति में प्रकरण चलाना उचित प्रतीत नहीं होता अतः आवेदिका की अनुपस्थित एवं आदेश का पालन न करने पर आवेदिका का आवेदन अदम पैरवी पर बिना-गुणदोष के खारिज किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर अभिलेखागार भेजा जावे।

(नीलम खटाना)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी